बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली
१९७६

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित

१९७६

कार्मिक विभाग

अधिसूचनाएं*

१० फरवरी १९७६

जी० एस० आर० ४—भारत-संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

१। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रयुक्ति।—(१) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, १९७६ कहलाएगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(३) यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमविधायी शक्तियों के अध्यधीन हो।

२। परिभाषाएं।—(क) इस नियमावली में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सरकार" से अभिप्रेत है—

(*i*) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएं भारत सरकार को सौंप दी गयी हों, भारत सरकार;

(*ii*) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएं किसी अन्य राज्य की सरकार को सौंप दी गई हों, उस राज्य की सरकार; और

(*iii*) अन्य सभी दशाओं में, बिहार सरकार।

(ख) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यों के सम्पादन के संबंध में सेवा करने के लिए नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में बिहार-राज्यपाल भारत-संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन नियम बनाने में सशक्त हैं, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत सरकार के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में, अथवा चाहे वह उस समय वाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो।

स्पष्टीकरण।—जिस सरकारी सेवक की सेवाएं सरकार द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संघटन या स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हों, वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सरकार के अधीन काम करनेवाला सरकारी सेवक समझा जाएगा ही, भले ही वह अपना वेतन राज्य की संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से पाता हो।

---

*बिहार गजट (असाधारण) अंक २४३, दिनांक १० फरवरी १९७६, में प्रकाशित।

(ग) सरकारी सेवक के संबंध में "परिवार के सदस्य" में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

(*i*) सरकारी सेवक की यथास्थिति, पत्नी या पति, चाहे वह सरकारी सेवक के साथ रहता/रहती हो या नहीं, किन्तु इसमें यथास्थिति, ऐसी पत्नी या पति शामिल नहीं है जो किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश से उस सरकारी सेवक से अलग हो गया/गई हो ;

(*ii*) सरकारी सेवक का ऐसा पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु इसमें ऐसा पुत्र/या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री शामिल नहीं है जो सरकारी सेवक पर अब आश्रित नहीं रह गया/गयी हो, अथवा जिसको अभिरक्षा के दायित्व से सरकारी सेवक किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन वंचित कर दिया गया हो ;

(*iii*) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्तमूलक या विवाहमूलक संबंध रखता हो और उस सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो ।

(घ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—

(*i*) राजपत्रित सरकारी सेवकों के विषय में, सरकार के वैसे विभाग जिनके संवर्ग (काडर) या स्थापना में वे रखे गए हों ;

(*ii*) श्रेणी III के पद धारण करनेवाले सरकारी सेवकों के विषय में, नियुक्ति प्राधिकारी ;

(*iii*) श्रेणी IV के पद धारण करनेवाले सरकारी सेवकों के विषय में, उस स्थापना का प्रधान जिसमें वे रखे गए हों; और

(*iv*) ऐसे सरकारी सेवक के विषय में, जो वाह्य सेवा में या प्रतिनियोजन पर हो, यथास्थिति वह मूल विभाग या कार्यालय जिसके संवर्ग या स्थापना में वह रखा गया हो ।

३ । (१) सामान्य ।—हर सरकारी सेवक सदा—

(*i*) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा ;

(*ii*) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा; और

(*iii*) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो ।

(२) हर सरकारी सेवक जो पर्यवेक्षी पद पर हो इसके लिये सभी संभव प्रयास करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन स्थित सभी सरकारी सेवक शीलनिष्ठा और कर्त्तव्यनिष्ठा बनाए रखें ।

(३) हर सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्पादन में अथवा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने उत्तम विवेक से ही काम लेगा, सिवाय वहां जहां

कि वह अपने उच्चतर पदाधिकारी के निदेश के अधीन काम कर रहा हो ; और जब वह ऐसे निदेश के अधीन काम कर रहा हो, तब जहां व्यावहारिक हो, पहले ही लिखित निदेश ले लेगा और जहां पहले लिखित निदेश लेना व्यावहारिक न हो वहां उसके बाद यथा शीघ्र उस निदेश की लिखित सम्पुष्टि करा लेगा ।

स्पष्टीकरण ।—नियम ३ के उप-नियम (३) की किसी बात से यह अर्थ न लगाया जायगा कि सरकारी सेवक को अपने उच्चतर पदाधिकारी या प्राधिकार से अनुदेश या अनुमोदन लेकर अपने उत्तरदायित्वों से बचने की शक्ति वहां भी प्राप्त है जहां शक्तियों और उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुदेश लेना आवश्यक नहीं है।

४ । मादक पेयों और औषधों का सेवन ।—(१) कोई सरकारी सेवक—

(*i*) जिस समय कर्त्तव्य पर रहे, किसी मादक पेय या औषध के नशे से इस हद तक प्रभावित न रहेगा जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों को ठीक-ठीक और दक्षतापूर्वक निभाने में असमर्थ हो जाए ;

(*ii*) मादक पेय या औषध के प्रयोग का असंयमित रूप में अभ्यासी होगा ;

(*iii*) सार्वजनिक स्थान में नशे की अवस्था में उपस्थित न होगा ; और

(*iv*) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पेय या औषध का सेवन न करेगा।

स्पष्टीकरण।—इस नियम के प्रयोजनार्थ, सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (सवारी सहित) जिसमें पैसा देकर या अन्यथा आम जनता का प्रवेश होता है या अनुज्ञात है।

(२) हर सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ पालन करेगा ।

५ । प्राइवेट उपक्रमों (उद्यमों) में सरकारी सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन ।—(१) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रमों में जिसके साथ उसे पदीय कारबार करना पड़ता है या किसी ऐसे अन्य उपक्रमों में जिसके साथ सरकार का कारबार चलता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए अपने पदीय प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा ।

(२) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रम में, जिसके साथ उसका पदीय कारबार हो या किसी ऐसे उपक्रम में, जिसका सरकार के साथ कारबार हो, कोई नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु जहां किसी नियोजन की स्वीकृति सरकार की पूर्व अनुज्ञा की प्रतीक्षा में रोकी नहीं जा सकती हो, या अन्यथा अति आवश्यक समझी जाए, वहां यह बात सरकार को सूचित की जायगी, और सरकार की अनुज्ञा की प्रत्याशा में नियोजन कच्चे तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा ।

(३) यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत होने के बावजूद, उपरि-निर्दिष्ट किसी नियोजन को स्वीकार कर ले, तो सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा और यह भी बताएगा कि उसे उक्त उपक्रम के साथ कोई पदीय कारबार है या था कि नहीं।

(४) (क) कोई सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के क्रम में किसी उपक्रम या अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी मामले में कोई कार्रवाई न करेगा तथा उसे कोई ठेका न देगा, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में या उस अन्य व्यक्ति के अधीन नियोजित हो, अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य रीति से उस उपक्रम या उस अन्य व्यक्ति के साथ हित-सम्बद्ध हो।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, सरकारी सेवक यह बात अपने उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और इसके बाद उस उच्चतर पदाधिकारी के अनुदेशों के अनुसार वह मामला निबटाया जायगा।

६। राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेना।—(१) कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेनेवाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा, न अन्यथा उससे संयुक्त होगा और न किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य कलाप में भाग लेगा, न उसके सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा।

(२) हर सरकारी सेवक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्य कलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्यत या उन्मुख हो, भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से उसमें मदद पहुँचाने से रोकने की चेष्टा करे, और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन में या कार्य कलाप में भाग लेने, चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से मदद पहुँचाने से रोकने में विफल हो, तो वह सरकार को यह बात सूचित करेगा।

(३) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई आन्दोलन या कार्य कलाप इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता है या नहीं, तो इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(४) कोई सरकारी सेवक किसी विधान-मंडल या स्थानीय प्राधिकार के किसी निर्वाचन में न तो लोगों से मत-संयाचना (कनवासिंग) करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, और न भाग लेगा :

परन्तु (i) जिस सरकारी सेवक को ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसा करेगा, तो वह बात प्रगट नहीं करेगा कि वह किसे मत देना चाहता है या उसने किसे मत दिया है ;

(ii) किसी सरकारी सेवक को केवल इसी कारण इस उप-नियम के उपबन्ध का उल्लंघन करनेवाला नहीं समझा जायगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अपने ऊपर सौंपे गए कर्त्तव्यों के समुचित पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण।—किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर, सवारी या निवास पर किसी निर्वाचन-चिह्न के प्रदर्शन को इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत निर्वाचन में अपना प्रभाव डालना माना जायगा।

७। सरकारी सेवकों का संघों (एसोसिएशनों) में शामिल होना।—कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संघ में शामिल न होगा या उसका सदस्य न रहेगा, जिसके उद्देश्य या कार्यकलाप भारत की सार्वभौमता और अखंडता अथवा लोक-व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हों।

८। प्रदर्शन और हड़ताल।—कोई सरकारी सेवक—

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित न होगा या उसमें भाग न लेगा, जो भारत की सार्वभौमता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक-व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिसमें किसी न्यायालय का अवमान, किसी की मानहानि, या किसी अपराध के लिए उत्प्रेरण अन्तर्ग्रस्त हो, या

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से सम्बद्ध किसी विषय के संबंध में किसी प्रकार की हड़ताल या प्रपीड़न या शारीरिक संबाधन का न सहारा लेगा और न उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा।

९। समाचार-पत्र या रेडियो से संबंध।—(१) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए, किसी समाचार-पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों का पूर्णतः या अंशतः स्वामी न होगा और न किसी प्रकार या रीति से उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध करेगा या उसमें भाग लेगा।

(२) कोई सरकारी सेवक, सरकार की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अथवा अपने कर्त्तव्यों के वास्तविक पालन के अलावा—

(क) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए या किसी प्रकाशक के जरिए कोई पुस्तक प्रकाशित न करेगा या किसी पुस्तक या रचनाओं के संकलन में रचना न देगा, या

(ख) अपने नाम से या गुमनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो-प्रसारण में भाग न लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्र-पत्रिका को रचना न भेजेगा या पत्र न लिखेगा :

परन्तु ऐसी मंजूरी अपेक्षित न होगी, यदि—

(i) ऐसा प्रकाशन किसी प्रकाशक के जरिए किया जाए, और विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो, या

(ii) ऐसी रचना, प्रसारण या लेखन विशुद्ध साहित्यिक या कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो।

१०। सरकार की आलोचना।—कोई सरकारी सेवक किसी रेडियो-प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम से, या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख्य में या समाचार-पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसा तथ्य या विचार व्यक्त न करेगा—

(i) जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; या

(ii) जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के पारस्परिक संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो ;

(iii) जो भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के पारस्परिक संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो :

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक के किसी ऐसे वक्तव्य या विचार पर लागू न होगी जिसे उसने अपनी पदीय हैसियत से या अपने ऊपर सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिया या व्यक्त किया हो।

११। समिति या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष साक्ष्य।—(१) उप-नियम (३) में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकार द्वारा की जानेवाली किसी जांच के संबंध में साक्ष्य न देगा।

(२) जहां उप-नियम (१) के अधीन ऐसी मंजूरी दी गई हो वहां ऐसा साक्ष्य देते हुए सरकारी सेवक केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना न करेगा।

(३) इस नियम की कोई बात निम्नलिखित साक्ष्यों पर लागू न होगी :—

(क) सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकार के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य,

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, और

(ग) सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

१२। जानकारी का अप्राधिकृत संसूचन।—कोई सरकारी सेवक, सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण अथवा अपने ऊपर सौंपे गए कर्त्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन से अन्यथा, किसी सरकारी लेख्य या उसके किसी अंश की विषय-वस्तु या जानकारी किसी ऐसे सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संसूचित न करेगा, जिसे वह ऐसी विषय-वस्तु या जानकारी संसूचित करने के लिये प्राधिकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण।—किसी सरकारी सेवक द्वारा (कार्यालय-प्रधान या विभागाध्यक्ष या सरकार को संबोधित अपने स्पष्टीकरण, अभिवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि में) किसी ऐसे पत्र, परिपत्र या कार्यालय-ज्ञापन से अथवा किसी ऐसी संचिका की टिप्पणियों से, जिसे देखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है अथवा जिसे वह अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए या अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, उद्धरण लेना इस नियम के अर्थ में जानकारी का अप्राधिकृत संसूचन माना जाएगा।

१३। चंदा।—कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधि या अन्य राशि जमा करने के लिए नकद या वस्तु रूप में चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसे काम में भाग लेगा।

१४। प्रीतिदान।—जहां इस नियमावली में अन्यथा उपबन्ध है वहां छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति न देगा।

स्पष्टीकरण।—इस नियम के प्रयोजनार्थ "प्रीतिदान" के अन्तर्गत सरकारी सेवक से कोई पदीय संबंध न रखने वाले निकट संबंधी या व्यक्तिगत मित्र से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, या कोई अन्य सेवा अथवा आर्थिक लाभ आते हैं, लेकिन इसके अन्तर्गत आकस्मिक भोजन, आकस्मिक प्रीतिदान या अन्य सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं।

टिप्पणी।—सरकारी सेवक (*i*) अपने साथ पदीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का या किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि का खर्चीला या बारंबार आतिथ्य स्वीकार करने से और

(*ii*) किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास या किसी समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई करनी, चाभी या ऐसी अन्य वस्तुएं स्वीकार करने से परहेज करेगा।

(२) विवाह, जन्म-तिथि, अन्त्येष्टि और धार्मिक पर्व आदि जैसे अवसरों पर, यदि प्रीतिदान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो सरकारी सेवक अपने निकट संबंधियों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे किसी प्रीतिदान का मूल्य ५०० रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(३) उप-नियम (२) में यथाविनिर्दिष्ट अवसरों पर सरकारी सेवक अपने साथ पदीय संबंध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि ऐसे प्रीतिदान का मूल्य २०० रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(४) अन्य किसी भी दशा में, सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ऐसा कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा, यदि उसका मूल्य श्रेणी-१ या श्रेणी-२ का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में ७५ रु० से अधिक और श्रेणी-३ या श्रेणी-४ का पद धारण करने वाली सरकारी सेवक की दशा में २५ रु० से अधिक हो :

परन्तु यदि सरकारी सेवक के लिए सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना व्यवहार्य न हो, तो वह ऐसा प्रीतिदान स्वीकार करने के एक महीने के भीतर, यथास्थिति, सरकार या विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा, जिसमें बताएगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा प्रीतिदान स्वीकार किया गया, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे प्रीतिदान का स्वीकार करना अनुमोदित न करे तो वह प्रीतिदान उसके दाता को लौटा देगा।

१५। सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन।—(१) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई सम्मान-पत्र या बिदाई-पत्र, या कोई प्रशंसापत्र स्वीकार न करेगा, या अपने या किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या समारोह में उपस्थित न होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित स्थितियों में लागू न होगी :—

(i) जहां किसी सरकारी सेवक के सम्मान में उसकी सेवा-निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी हो, सारतः वैयक्तिक और अनौपचारिक ढंग का बिदाई-समारोह आयोजित किया जाए, या

(ii) जहां लोक-निकायों या संस्थाओं द्वारा नाममात्र खर्चे पर सादा सत्कार आयोजित किया जाए।

(२) कोई सरकारी सेवक किसी बिदाई-समारोह में, भले ही वह पूर्णतः वैयक्तिक और अनौपचारिक ढंग का हो, चन्दा देने के लिए किसी सरकारी सेवक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

१६। प्राइवेट व्यापार या नियोजन।—(१) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई व्यापार या कारबार करेगा और न कोई नियोजन स्वीकार करेगा :

परन्तु कोई सरकारी सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य अथवा कभी-कभी होने वाला साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का मान्यक (आनरेरी) कार्य निम्नलिखित शर्तों पर कर सकेगा :

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्योरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा ;

(ii) इसके चलते उसके पदीय कर्त्तव्यों में बाधा न पड़ेगी, और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

स्पष्टीकरण।—यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य की कम्पनी अथवा उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के कारबार को बढ़ाने के लिए कोई संयाचना (कनवासिंग) करे तो यह इस उप-नियम का भंग समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण।—द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयाचना (कनवासिंग) करना इस उप-नियम का भंग माना जायगा।

(२) यदि सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारबार में लगा हो, अथवा उसकी कम्पनी या उसके द्वारा प्रबंधित कोई बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी हो तो वह सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा।

(३) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन से अन्यथा कम्पनी अधिनियम (कम्पनीज ऐक्ट), १९५६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक या कम्पनी के अथवा किसी ऐसी सहकारी समिति के, जिसका मूल उद्देश्य वाणिज्य हो, रजिस्ट्रीकरण, संवर्द्धन या प्रबंध में भाग न लेगा :

परन्तु कोई सरकारी सेवक सहकारी समिति अधिनियम, १९१२ (२, १९१२) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और मूलतः सरकार किसी सहकारी समिति के, अथवा समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), १८६० (२१, १८६०) या तत्समय

प्रवृत्त किसी अनुसारी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण संवर्द्धन या प्रबंध में निम्नलिखित शर्तों के साथ भाग ले सकेगा :—

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्यौरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा ;

(ii) इसके चलते उसके पदीय कर्तव्यों में बाधा न पड़ेगी ; और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे ।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण ।—द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के लिए किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयाचना (कनवासिंग) करना इस उप-नियम का भंग माना जायगा ।

(४) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी सम्पत्ति की बिक्री के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई लाटरी न करेगा ।

(५) कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी के मंजूर के बिना, किसी लोक-निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई काम करके उसके लिए कोई फीस न लेगा ।

१७ । धन-विनिधान और ऋण लेना और देना ।—(१) कोई सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य धन-विनिधान में सट्टेबाजी नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण ।—शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य धन-विनिधान-पत्रों के बराबर खरीद या बिक्री या दोनों इस उप-नियम के अर्थ में सट्टेबाजी समझे जायेंगे ।

(२) कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा धन-विनिधान, जिससे उसे अपने पदीय कर्तव्यों के सम्पादन में परेशानी हो या उस पर प्रभाव पड़े, न स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा धन-विनिधान करने से रोकने में विफल हो तो वह अविलम्ब इस बात की सूचना सरकार को देगा ।

(३) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई संव्यवहार उप-नियम (१) या उप-नियम (२) में निर्दिष्ट ढंग का है या नहीं, तो इस विषय पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(४) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भूमि या मूल्यवान सम्पत्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति को न कर्ज देगा और न किसी भी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया देगा ;

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने वैयक्तिक नौकर को अग्रिम वेतन या अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को छोटी-मोटी रकम बिना ब्याज के उधार दे सकेगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की भूमि उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो।

(५) (i) कोई सरकारी सेवक, किसी बैंक या किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ चलने वाले कारबार (संव्यवहार) के सामान्य क्रम से अन्यथा, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, जो उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो या जिसके साथ उस सरकारी सेवक का पदीय कारबार चलने की सम्भावना हो, न उधार देगा, न उससे उधार लेगा, न उसमें कोई धन मूल या ब्याज के रूप में निक्षिप्त करेगा, और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कोई धन-संबंधी आभार अपने ऊपर लेगा :

टिप्पणी (क)—यहां "धन संबंधी आभार" से अभिप्रेत है न केवल नकदी लेन-देन से उत्पन्न आभार, बल्कि इसमें सेवा या सुविधा के रूप में किसी प्रतिफल के बिना ऐसी कोई वस्तु लेना भी है, जो तुच्छ मूल्य की न हो :

(ख) किसी व्यक्ति को कोई धन ब्याज पर या इस रीति से उधार न देगा, जिसके अनुसार उस उधार का नकदी या जिन्सी प्रतिफल लिया या चुकाया जाता है :

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने किसी संबंधी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितान्त अस्थायी ढंग का ब्याज-रहित उधार दे सकेगा या उससे ले सकेगा, अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा, या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम की कोई बात ऐसे किसी संव्यवहार के संबंध में लागू न होगी जो सरकारी सेवक ने सरकार की पूर्व मंजूरी से किया हो।

(ii) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रकार का कोई संव्यवहार करने की अनुज्ञा न देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा संव्यवहार करने से रोकने में असमर्थ हो जाए तो वह इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(६) जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे पद पर नियुक्त या अंतरित किया जाए, जिससे उसके द्वारा उप-नियम (४) या (५) के उपबन्धों का भंग हो सकता हो तब, वह इस स्थिति की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को अविलम्ब करेगा और आगे उन आदेशों के अनुसार काम करेगा जो ऐसा प्राधिकारी उसे दे।

१८। दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी)।—कोई सरकारी सेवक अपना निजी कामकाज इस तरह चलाएगा कि उसके सामने आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी) या दिवाले की स्थिति न आने पावे। यदि किसी सरकारी सेवक पर लिए गए किसी ऋण की वसूली या दिवाले के लिए कोई विधिक कार्यवाही चलाई जाए, तो वह अविलम्ब इस संबंध में पूरी बातें सरकार को सूचित करेगा।

टिप्पणी।—यह सिद्ध करने का भार ऐसे सरकारी सेवक पर होगा कि ऋणग्रस्तता या दिवाला ऐसी परिस्थिति का परिणाम है, जिसे वह अपनी सामान्य जागरूकता के बावजूद पहले ही लक्षित नहीं कर सकता था, या जिस पर उसका कोई वश नहीं था, तथा जिसका कारण उसकी फिजूलखर्ची या मौज उड़ाने की आदत नहीं है।

१९। चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति।—(१) हरेक सरकारी सेवक, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद, हरेक बारह मासों के अंतराल पर, अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी ऐसे फारम में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, विहित प्राधिकारी को देगा जिसमें निम्नलिखित विषयों के संबंध में पूरा ब्योरा दिया रहेगा :—

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति, जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में पायी हो अथवा नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, पट्टे या बन्धक पर, उसके द्वारा धारित हो।

(ख) ऐसे शेयर, ऋणपत्र (डिबेंचर), संचयी आवधिक निक्षेप-पत्र और बैंक-निक्षेप सहित नकद रुपए, जो उसके अपने हों या उसने अर्जित किए हों या विरासत में पाए हों, अथवा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अपने द्वारा धारित हों।

(ग) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे विरासत में मिली या इसी प्रकार स्वार्जित या स्वधारित हो।

(घ) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसे उपगत ऋण और अन्य दायित्व, यदि कोई हो।

टिप्पणी।—(१) जबतक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उप-नियम (१) साधारणतः श्रेणी ४ के सेवकों पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी।—(२) सभी विवरणियों में १,००० रु० से कम मूल्य की चल संपत्ति की मदों का मूल्य जोड़ कर एक मुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी में कपड़े, बर्तन-बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी।—(३) हरेक सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ की तारीख को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरणी ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रारम्भ के बाद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(२) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा।

(३) हरेक सरकारी सेवक, चल संपत्ति के विषय में, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य श्रेणी-१ या श्रेणी-२ के पद पर काम करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में १,००० रु० से अधिक हो या श्रेणी-३ या श्रेणी-४ के किसी पद पर काम करने वाले सरकारी सेवक के मामले में ५०० रु० से अधिक हो, अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम से किए गए हरेक संव्यवहार की रिपोर्ट संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को देगा:

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो; या

(ख) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए,

तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(४) सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने या अपनी ओर से या अपने परिवार के किसी सदस्य

द्वारा धारित या अर्जित चल या अचल सम्पत्ति का पूर्ण और सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत करे जैसा कि आदेश में विदिष्ट किया जाए, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे, तो इस विवरण में उन साधनों या स्रोतों का भी ब्योरा रहेगा, जिनसे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई।

(५) सरकार उप-नियम (४) को छोड़कर इस नियम के किसी उपबंध से श्रेणी ३ या श्रेणी ४ के सरकारी सेवकों की किसी कोटि को विमुक्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ "चल सम्पत्ति" के अन्तर्गत निम्न चीजें आती हैं :—

(क) जेवर, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम १,००० रु० से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और ऋण-पत्र (डिबेंचर);

(ख) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा दिए गए या लिए गए ऋण, चाहे उनकी अदायगी हुई हो या न हुई हो;

(ग) मोटर गाड़ियां, मोटर साइकिलें, घोड़े, या सवारी का कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम।

(६) यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन-स्रोत या ऐसी संपत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय-स्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका वह संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए जब तक यह माना जाएगा कि वह अपने सरकारी कर्तव्य पालन में गंभीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ दांडिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

(७) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से शक्ति-प्रदत्त कोई प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने अथवा अपने परिवार द्वारा धारित या अर्जित किसी भूमि, भवन या किसी अन्य अचल संपत्ति के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए सुविधाएं दे, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करना सम्बद्ध सरकारी सेवक का गंभीर पर्दाप्त कदाचार समझा जाएगा।

२०। भारत से बाहर अचल संपत्ति के अर्जन और निबटाव तथा विदेशियों आदि के साथ संव्यवहार आदि के बारे में प्रतिबंध—नियम १९ के उप-नियम (२) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के रहते हुए भी कोई सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :—

(क) अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, भारत से बाहर कोई अचल सम्पत्ति खरीद, बंधक, पट्टे या प्रीति दान द्वारा या अन्यथा अर्जित करना;

(ख) भारत से बाहर अवस्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को, जो उसके द्वारा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अर्जित की गई थी या धारित है, बिक्री, बंधक, या प्रतिदान द्वारा या अन्यथा निबटाना या पट्टे पर देना ;

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ किसी संव्यवहार का करार करना—

(i) खरीद बंधक, पट्टा या प्रतिदान द्वारा या अन्यथा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी अचल संपत्ति का अर्जन करने के लिए ;

(ii) बिक्री बन्धक या प्रतिदान द्वारा या अन्यथा किसी ऐसी अचल संपत्ति को जो अपने नाम से या अपने परिवार के, किसी सदस्य के नाम से उसने अर्जित की थी उसके द्वारा धारित है निबटाने के लिए या पट्टे पर देने के लिए ।

२१। सरकारी सेवकों के कार्य और आचरण का प्रतिसमर्थन —कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने किसी ऐसे पदीय कार्य को, जो प्रतिकूल आलोचना या अपमानजनक आक्षेप का विषय रहा हो, प्रतिसमर्थित कराने के लिए न्यायालय या समाचार-पत्र की शरण न लेगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम की किसी बात से यह न समझा जाएगा कि कोई सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत चरित्र का या व्यक्तिगत हैसियत से किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन नहीं करा सकता है; लेकिन वह ऐसी कार्रवाई के संबंध में सरकार को रिपोर्ट करेगा ।

२२। गैर-सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव द्वारा संराधना (कनवासिंग)—कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित किसी विषयों के संबंध में अपने हितसाधन के लिये किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव न डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा ।

२३। विवाह के संबंध में प्रतिबंध—(१) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा ; और

(२) ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा :

परन्तु सरकार किसी सरकारी सेवक को खंड (१) या खंड (२) में निर्दिष्ट विवाह या विवाह के लिए करार करने की अनुज्ञा दे सकेगी यदि उसका समाधान हो जाए कि—

(क) ऐसे विवाह ऐसे सरकारी सेवक और ऐसे विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है; और
(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

(३) जो सरकारी सेवक भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या करे वह अविलम्ब सरकार को यह बात सूचित करेगा।

२४। दहेज लेना या देना—कोई सरकारी सेवक दहेज न लेगा और न देगा तथा दहेज लेने या देने के लिए किसी को दुष्प्रेरित न करेगा।

टिप्पणी—दहेज लेना या देना अथवा दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करना एक कदाचार समझा जाएगा और इसके लिए सम्बद्ध सरकारी सेवक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

२५। निर्वचन—यदि इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो वह सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२६। शक्तियों का प्रत्यायोजन—सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस नियमावली के अधीन जो कोई शक्ति (नियम २३ के अधीन और इस नियम के अधीन शक्तियों को छोड़कर) सरकार द्वारा या किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य है उसका प्रयोग उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

२७। निरसन और व्यावृत्ति—बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, १९५६ (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) इसके द्वारा निरसित की जाती है और वह प्रवृत्त न रह जाएगी :

परन्तु इस निरसन से—

(क) उक्त नियमावली के पूर्व प्रवर्त्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या हुई किसी बात पर, अथवा

(ख) ऐसे किसी अधिकार, सुविधाधिकार, आभार या दायित्व पर, जो उक्त नियमावली के अधीन अर्जित, उपगत या प्रोद्भूत हो चुका हो, अथवा

(ग) उक्त नियमावली के अधीन प्रोद्भूत किसी शास्ति या दंड पर, अथवा

(घ) उपर्युक्त किसी अधिकार, सुविधाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति या दंड के संबंध में उक्त नियमावली के अधीन किए जा चुके किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

कोई प्रभाव न पड़ेगा और ऐसा अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसा कोई शास्ति या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त नियमावली पूर्ववत् प्रवृत्त है।

(III—आर १-४४ ७५)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।

---

१० फरवरी १९७६

जी०एस०आर० ५—जी०एस०आर० ४, दिनांक १० फरवरी १९७६ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(३ आर०१-४०४ ७४)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।